न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 26ए/2019 आदेश दिनांक 16.10.2019

मूलीदेवी पत्नी भँवरलाल जाति मेघवाल निवासी मोमासर तहसील
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। **प्रार्थी**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़। **अप्रार्थी**

उपस्थित–
1 श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज अप्रार्थी की तरफ से ।

यह प्रार्थना पत्र मूलीदेवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन
किया कि है कि प्रार्थीनी ग्राम मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी
निवासी है। प्रार्थिनी का 10/293 हिस्से की सयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 1265
तादादी 6.0200 रोही मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है।
प्रार्थिनी ने विक्रेता खातेदार सांवरमल से दिनाक 24.12.2007 को जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र 01 बीघा कृषि भूमि क्रय की थी। उक्त विकग्र पत्र में क्रेता/प्रार्थिनी ने अपना
नाम मुलीदेवी पत्नी भंवरारा‍म जाति मेघवाल निवासी मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ़
अंकित किया था। प्रार्थिनी के उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण ई.न. 24 दिनाक
14.01.2008 द्वारा दर्ज हुआ जिसमे प्रार्थिनी नाम, जाति, पता विक्रय पत्र में अंकित
अनुसार ही दर्ज हुआ। प्रार्थिनी ने अपनी उक्त कृषि भूमि में अनुदान आदि की प्राप्ति के
लिए दिनाक 01.03.2019 को खसरा न. 1265 रोही मोमासर की पटवारी से जमाबंदी
निकलवाई तो प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ की जमाबंदी में उसकी जाती नायक दर्ज हो रखी है
जिसके कारण प्रार्थिनी का उदेश्य पूरा नही हुआ। प्रार्थिनी के उक्त खरीदशुदा भूमि का
नामान्तरण ई.न. 24 दिनाक 14.01.2008 द्वारा दर्ज हुआ था जिसमे प्रार्थिनी नाम,
जाति, पता विक्रय पत्र में अंकित अनुसार ही दर्ज हुआ। इसी खसरा की भूमि में आगे
किसी नये क्रेता के नामान्तरण ई. न. 36 दिनाक 30.01.2008 के द्वारा भूलवश प्रार्थिनी
के नाम के आगे जाति नायक दर्ज हो गई। प्रार्थिनी के नाम के आगे जाति मेघवाल के
बजाय नायक दर्ज होना सरासर राजस्व कर्मचारियों की भूल से हुआ है। राज
कर्मचारियों की उक्त भूल से प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षती हुई है। प्रार्थिनी गरीब, अनपढ़
मजदूरी पेशा महिला है। प्रार्थिनी ने जब अप्रार्थी स्टेट के प्रतिनिधि तहसीलदार से स
किया तो उन्होंने प्रार्थिनी को कहा की इसमे तुम्हारी जाति को सशोधन कर दुरुस्त क
मेरे अधिकार में नही है। साथ ही अप्रार्थी स्टेट ने प्रार्थिनी को सलाह दी कि वह ग
न्यायालय में अपनी जाती को सशोधित करने हेतु दावा करे। प्रार्थिनी को अपनी
जाति को सही करवाने का कानुनी अधिकार है। अप्रार्थी स्टेट द्वारा प्रार्थिनी की जाति को

करने से इंकार करने के कारण प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र दायर करने का वाद हेतुक हासिल हो गया है। विकय्र पत्र दिनाक 24.12.2007 में क्रेता/प्रार्थिनी ने अपना नाम मुन्नीदेवी पत्नी भंवरराम जाति मेघवाल निवासी मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ अंकित किया था।प्रार्थिनी के अपने सभी सरकारी दस्तावेजो में अपने नाम के आगे अपने पति का नाम भँवरलाल व जाति मेघवाल दर्ज है। प्रार्थिनी को अपने पति का नाम भी भंवरराम की बजाय भँवरलाल दर्ज करवाने की सदभावी आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा न. 1265 तादादी 6.0200 हेक्टेयर रोही मोमासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी के नाम के आगे उसके पति का नाम भँवरलाल व जाति मेघवाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी स्टेट को दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स्टेट ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1265 तादादी 6.200 हैक्टयर वाके राही मोमासर तहसील श्री डूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम के आगे पति का नाम भॅवरलाल जाति मेघवाल की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करना न्यायोचित है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1265 तादादी 6.0200 हैक्टयर रोही मोमासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी के नाम के आगे उसके पति का नाम भंवरलाल व जाति मेघवाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार श्री डूॅगरगढ राजस्व रिकार्ड में जहॉ जहॉ प्रार्थीनी के पति का नाम भंवरराम अंकित है उसके स्थान पर भंवरलाल जाति मेघवाल अंकित करें ।

आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बा निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूॅगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.14 16:50:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: